

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या-3442-औस/2011-27-एफ0/80

दिनांक 21, नवम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकार का अधिसूचना संख्या-6/12-1973-कार्मिक-2-2007-लखनऊ, दिनांक 09.02.2007 द्वारा उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (आठवा संशोधन) नियमावली 2007 द्वारा नियम-2 में किये गये संशोधन को अंगीकार किये जाने का पावर कारपोरेशन ने निर्णय लिया है।

उपरोक्त अधिसूचना अंगीकृत किये जाने के फलस्वरूप एतद्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1975 (यथा संशोधित) के नियम-2 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड प्रतिस्थापित किया जाता है :-

स्तम्भ-1

वर्तमान खण्ड

(ग) 'कुटुम्ब' के अन्तर्गत मृतक सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :-

1. पत्नी या पति
2. पुत्र
3. अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां,
4. मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई अविवाहित बहन और विधवा माता यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(ग) 'कुटुम्ब' के अन्तर्गत मृतक सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :-

1. पत्नी या पति
2. पुत्र
3. अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां
4. मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था,

परन्तु यदि मृत सरकारी सेवक के उपरिलिखित सम्बन्धियों में से किसी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिये अयात्र हो तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियां भी सम्मिलित होंगी।

नियमावली के अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0)

संख्या: 3442-(1) औस/2011 - तददिनांक

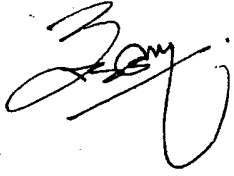
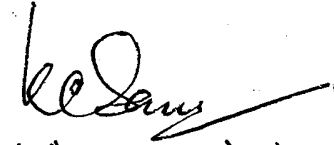
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

1- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,

(2)

वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा एवं केस्को, कानपुर।

- 2- निदेशक (आपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 3- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत)/अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 4- समस्त मुख्य अभियन्ता वितरण क्षेत्र एवं पारेषण क्षेत्र, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 5- समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 6- समस्त महाप्रबन्धक (लेखा)/उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उप मुख्य लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 7- समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 8- अनुसचिव (विनियम), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 10- अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया वेबसाइट www.uppcl.org पर लोड करने हेतु।
- 11- कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की बैठक (87)/2011, दिनांक 02.11.2011
- 12- कट फाइल।

(कौशल चन्द्र सक्सेना)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

